

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अस्थिर रूप से लिखा जावे तो उससे संघिणा हो।



मास : दूसरीखण्डी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : 0091-0751 2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :-  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५३०३

दिनांक : २४/१२/११

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार पार्टी बाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी. (माइक्रोबायलॉजी, इंडिस्ट्रियल कैमिस्ट्री, प्राणिकी) एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विनियोग शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. परिनियम 28(17) के अंतर्गत स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाये।
2. प्रभारी प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत, उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु वलास रूम तथा प्रयोगशालाओं का आवंटन शासी निकाय द्वारा स्वीकृत किया जाये।
3. एम.एस.सी. माइक्रोबायलॉजी तथा एम.एस.सी. इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं को व्यवसियत तथा सुसज्जत किया जाये तथा प्रति विषय लगभग एक एक लाभ के उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर Electrophoresis आदि क्रय किये जाये।
4. उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों हेतु लगभग 1 लाख रुपये की पुस्तकें, पाठ्यक्रमानुसार क्रय किये जायें।
5. एम.एस.-सी. माइक्रोबायलॉजी तथा एम.एस.-सी. इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्री हेतु दो-दो शिक्षकों की नियुक्तियां परिनियम 28/17 के अंतर्गत की जायें।
6. बी.सी.ए. हेतु 10 नये कम्प्यूटर (कोर-टू-इयू) क्रय किये जायें।
7. सामान्यतः परिनियम 27/28 का परिपालन किया जाये। अगले निरीक्षण से पूर्व उक्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

आदेशांकुर सार  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, पार्टी बाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जाकि न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
अन्वयित विषय पर यदि पूरे में पत्र  
व्यवहार दुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवधि लिखा जावे लिस्ट से संकेत हो।



ग्राम : बूजीवारी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/1364

दिनांक: 09/01/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पार्वती बाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2420488) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (मार्फकोबायलॉजी, इण्डस्ट्रियल केमिस्ट्री, प्राणिकी) बी.टी.ए. एवं बी.कॉम. द्वितीय वर्ष (लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन अ.टि.वि.) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. हल्के, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442769)

(2) प्रो. रेणु जैन, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. आर.एम. अग्रवाल, आचार्य, वानस्पतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(4) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(5) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुभति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदन है कि वे उक्त नियायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए गहाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय भाष्यक प्राचार्याली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की होगा। वस्तुतियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / माजदेय महाविद्यालय द्वारा देव

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिनांक के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)